

Dated : 1-12-2007

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 255.—केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (तेनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (तेनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल (तेनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) नियम, 2000 में नियम 2 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) ‘ड्यूटी बटालियन’ से सक्रिय पर लगे बटालियन जिसमें तोपखाना रेजीमेंट और बल स्कंध की फील्ड डिटेचमेंट भी सम्मिलित है;”

[सं. 17/11/2007-फ/सी.सु.बल]

बी.क. साहू, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 100, तारीख 25 मार्च, 2000 में प्रकाशित किए गए और पश्चात्पूर्वी संशोधन सा.का.नि. 264, तारीख 20 जुलाई, 2002 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2007

G.S.R. 255.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force (Tenure of Posting and Deputation) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Tenure of Posting and Deputation) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force (Tenure of Posting and deputation) Rules, 2000, in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) ‘Duty Battalion’ means the battalion deployed on active duty including Artillery Regiments and field detachments of Water Wing;”

[File No. 17/11/2007-Pers/BSF]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 100, dated the 25th March, 2000 and subsequent amendment vide number GSR 264, dated the 20th July, 2002.